समाहरणालय, रोहतास, सासाराम।

(जिला नजारत प्रशाखा)

अल्पकालीन सूचना

अपर मिशन निदेशक, सामान्य प्रशासन, विभाग विहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार के पत्रांक 1042, दिनांक 01.09.2016 से अनुमंडलीय एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में विद्युत आपूर्ति वाधित रहने पर जेनरेटर द्वारा विद्युत आपूर्ति को Outsource करने का निर्णय लिया गया है। एतदर्थ निविदा दिनांक 26.06.2017 को अपराह्न 01:00 बजे तक निबंधित डाक अथवा हाथो–हाथ जिला नजारत प्रशाखा, रोहतास मे जमा किया जा सकता है तथा उसी दिन 04:00 बजे अपराह्न में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष निविदादाता अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी। इस कार्य हेतु संक्षम एजेंसियों/आपूर्तिकर्त्ताओं से निम्न शर्तो के अधीन भाड़े पर जेनरेटर रखने हेतु द्वि लिफाफा प्रणाली के तहत् निविदा आमंत्रित की जाती है :–

सामग्री का विवरण

(I) 15 KVA/20 KVA/30 KVA/40 KVA/60 KVA का ईधन रहित एवं ईधन सहित एक ध्वनिरहित जेनरेटर (चालक के साथ)

निविदा की शर्तेः–

1. निविदादाताओं को आयकर/ वाणिज्यकर में निबंधन संबंधी प्रमाण–पत्र देना होगा।
2. निविदादाताओं का फार्म Bihar Shop and Entabiishment Act के तहत निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
4. संबंधित एजेंसी/आपूर्तिकर्त्ता को जेनरेटर सेट संबंधित कार्यालय परिसर में अधिष्ठापित करना होगा। निविदादाता यह दर दैनिक/मासिक आधार पर ईंधन रहित एवं ईंधन सहित अंकित करेंगे।
5. निविदादाता को 5000 (पांच हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी रोहतास के नाम से अग्रधन के रूप में जमा करना होगा।
6. चयनित निविदादाता को 24 घंटे निर्वाध विद्युत उपलब्ध करनी होगी, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी दिन उन्हें अधिकतम 24 घंटे भी जेनरेटर चलाना पड़ सकता है एवं किसी दिन अच्छी विद्युत आपूर्ति होने पर कम अवधि के लिए चलाना पड़ेगा।
7. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा जेनरेटर सेट के ऑपरेटर की आपूर्ति भी की जायेगी। जेनरेटर रख–रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की स्वयं होगी।
8. निविदा में सफल होने के पश्चात् आपूर्तिकर्त्ता के साथ एकरारनामा किया जायेगा एवं एकरारनामा हस्ताक्षर के पश्चात जेनरेटर स्थापित करना होगा। एकरारनामा की शर्तों में उल्लंघन किए जाने पर अग्रधन की राशि जप्त कर ली जाएगी एवं चयनित प्रतिष्ठान को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।
9. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोला जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल फर्मो का ही वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा खोला जायेगा।
10. जिला स्तर पर न्यूनतम दर (ईधन रहित एवं ईधन सहित) के आधार पर पैनल बनाकर रखा जायेगा।
11. अनुबंध एक वर्ष के लिए मान्य होगा। कालांतर में आवश्यकता एवं सेवा संतुष्टि के आधार पर इसे विस्तारित करने का निर्णय लिया जायेगा।
12. आपूर्ति कर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम देय नही होगा।
13. सेवा संतोषजनक नही होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये अनुबंध रद्द करने का अधिकार होगा।
14. निविदादाता का नाम बिहार सरकार के किसी भी विभाग/कार्यालय की काली सूची में दर्ज नही होनी चाहिए।

जिला पदाधिकारी
रोहतास, सासाराम।